2017/00539

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री गोपालराम पुत्र जीवराज विश्नोई द्वारा गृह संग्रह प्रोविजन स्टोर सिने मैजिक सिनेमा के पास रीको रोड़ नं. 5 गंगाशहर, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलादार (राजस्व), कोलायत प्रथम सूचना अपील संख्या 269/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	: निर्णय :	
13.12.17	1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 04.08.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी, एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलवाये जाने का निवेदन किया। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर की और से विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब क्रमांक 2117 दिनांक 14.11.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार (राजस्व), कोलायत से संबंधित होने के कारण आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1353 दिनांक 30.8.17 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), कोलायत को निर्धारित समयावधि में हस्तानान्तरण करते हुए अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया है, तथा अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), कोलायत ने पत्रांक 757 दिनांक 16.11.17 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपतहसीलदार, बज्जू द्वारा अपने पत्रांक एल.आर./10138 दिनांक 02.11.17 द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को पूर्ण ब्यौरा भिजवाने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जासकी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उप–तहसीलदार (भू.अ.), बज्जू द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी जवाब से संतुष्ट है। अपीलार्थी चाहे तो वांछित सूचना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर पुनः आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है। 5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर